न्यायालय सहायक कलक्टर, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– विकास पंचोली (R.A.S.)

प्रकरण संख्याः – 222/2023
GCMS No. – 2023/657

1. श्रीमती रामीबाई पुत्री भैरा गुर्जर आयु 80 वर्ष, निवासी बिनोता हा०मु० पत्नी भैरा जी गुर्जर नि० नालिया का खेडा तहसील डुंगला जिला–चित्तौड़गढ़

– प्रार्थीया

बनाम

1. श्री श्रीलाल पिता नारायण गुर्जर आयु 45 वर्ष, निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा
2. श्री बद्रीलाल पिता नारायण गुर्जर आयु 42 वर्ष, निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा
3. श्री कैलाश पिता नारायण गुर्जर आयु 40 वर्ष, निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा
4. मु० वरजु पिता नारायण गुर्जर आयु 48 वर्ष, निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा (राज०) हा०मु० पत्नी घासी जी गुर्जर नि० कुरेठा तहसील भदेसर (राज०)
5. मु० मुन्ना पिता नारायण गुर्जर आयु 37 वर्ष, निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा (राज०) हा०मु० पत्नी जगदीशचन्द्र जी गुर्जर नि० नलवई तह० बड़ीसादडी (राज०)
6. श्रीमती अंगारीबाई पत्नी स्व० नारायण गुर्जर आयु 70 वर्ष, निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा (राज०)
7. श्री लक्ष्मीलाल पिता नारायण धाकड़ आयु 50 वर्ष, निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा (राज०)
8. श्री रामेश्वरलाल पिता नारायण धाकड़ आयु 47 वर्ष, निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा (राज०)
9. श्री नारायण पिता भैरा गुर्जर आयु 50 वर्ष निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेड़ा (राज०)
10. श्री शान्तिलाल पिता भैरा गुर्जर आयु 32 वर्ष, निवासी बिनोता तहसील निम्बाहेडा (राज०)
11. श्री धन्नालाल पिता जगन्नाथ धाकड़ आयु 60 वर्ष, निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा (राज०)
12. श्री हीरालाल पिता जगन्नाथ धाकड़ आयु 57 वर्ष, निवासी भगवानपूरा तहसील निम्बाहेडा (राज०)
13. श्रीमती केशीबाई पुत्री जगन्नाथ धाकड़ आयु वयस्क निवासी– भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा (राज०) हा०मु० पत्नी
14. श्रीमती कमलाबाई पुत्री जगन्नाथ धाकड़ आयु वयस्क निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा (राज०)
15. श्री रामचन्द्र पिता काशीराम धाकड़ आयु 55 वर्ष निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा (राज०)
16. श्री तुलसीराम पिता वरदा धाकड़ आयु 60 वर्ष, निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा (राज०)
17. श्री रामेश्वर पिता वरदा धाकड़ आयु 55 वर्ष, निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

18. श्रीमती सवागी धर्मपत्नी स्व० वरदा धाकड़ आयु 75 वर्ष, निवासी भगवानपुरा तहसील निम्बाहेडा

19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा (राज०)

– विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र. अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955

उपस्थित :– 1– श्री सआदत अली – अधिवक्ता प्रार्थिया
2– श्री नरेन्द्र वैष्णव – अधिवक्ता विपक्षी संख्या 01 से 06

:: निर्णय ::

दिनांक :– 30.08.2024

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण मामला इस प्रकार है कि मौजा बिनोता में मूल पुरूष मोडा जी हुऐ जिनके खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात मौजा बिनोता तहसील निम्बाहेडा में स्थित चली आ रही थी, मोडा जी का स्वर्गवास हो गया है मोडा जी के स्वर्गवास होने के बाद मोडा जी के वारिसान् उनका पुत्र भैरा जी व मोड़ा जी की पत्नी हुई जो मोड़ा जी के खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजीयात पर काश्त करते चले आ रहे है। भैरा जी का भी स्वर्गवास हो गया है व भैरा जी के स्वर्गवास होने के बाद मोडा जी की आराजीयात व मकानियत पर भैरा जी की पत्नी वरदीबाई व भैरा जी की पुत्री प्रार्थीया रामीबाई मोड़ा जी की आराजीयात व मकानियत पर काविज होकर इसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। व भैरा जी की पत्नी वरदीबाई का भी स्वर्गवास हो गया है, जिससे मोडा जी की तमाम जायदाद व आराजीयात की एक मात्र वारिस प्रार्थीया ही है व प्रार्थीया ही काविज होकर जायदाद् का उपयोग उपभोग कर रही है व आराजीयात मोडा जी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी उस पर प्रार्थीया ही काश्त करती चली आ रही है व मोडा जी की आराजीयात का विवरण इस प्रकार है कि मौजा बिनोता पटवार हल्का बिनोता के आराजी नम्बर 360 रकबा 0.2600 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 384 रकबा 0.1100 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 385 रकबा 0.1900 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 386 रकबा 0.2400 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 390 रकबा 0.2800 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 387 रकबा 0.2900 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 388 रकबा 0.30 हैक्टेयर भूमि, आराजी नम्बर 389 रकबा 0.04 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 611 रकबा 0.52 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2134 रकबा 2.15 हैक्टेयर , आराजी नम्बर 404 रकबा 0.01 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 405 रकबा 1.13 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 1419 रकबा 0.25 हैक्टेयर,आराजी नम्बर 1430 रकबा 0.24 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2133 रकबा 0.6400 हैक्टेयर, आराजी नम्बर 2135 रकबा 0.5200 [illegible] भूमि स्थित है जिसके पडौस पूर्व–केसरीमल पिता बंसन्तीलाल जी [illegible] प्रार्थीया की कब्जेशुदा अन्य आराजीयात व उसके बाद [illegible] जी व बद्रीलाल पिता शंकरलाल जी धाकड़ साकिन भगवानपुरा की आराजीयात, उत्तर–रास्ता आम (आडा रास्ता) व दक्षिण–रंगलाल पिता भगवानलाल जी धाकड़ नि० भगवानपुरा की आराजीयात।

2. उक्त आराजियात आ0न0–1298 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा व आ०न० 1299 रकबा 02 बीघा 11 बिस्वा कुल किता–02 कुल रकबा 04 बीघा 12 बिस्वा भी मोड़ा जी के समय से मोड़ा जी के कब्जे काश्त में चली आ रही थी मोड़ा जी के स्वर्गवास होने के बाद उनकी

सहायक कलक्टर
निम्बाहेडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested

पत्नी एवं उनके पुत्र भैरा जी के कब्जे काश्त में चली आ रही है व भैरा जी का स्वर्गवास हो गया है व भैरा जी के स्वर्गवास होने के बाद भैरा जी की पत्नी वरदीबाई व उनकी पुत्री प्रार्थीया रामीबाई काबिज होकर काश्त करती चली आ रही थी। भैरा जी की पत्नी वरदीबाई का स्वर्गवास लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुका है।उपरोक्त वर्णित आराजीयात में से आ0न0–335 रकबा 04 बीघा 10 बिस्वा, आ०न0–905 रकबा 01 बीघा, आ०न0–914 रकबा 19 बिस्वा कुल किता–03 कुल रकबा 06 बीघा 09 बिस्वा है। प्रार्थीया के पिता भैरा जी ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजीयात भैरा पिता गिरवर जी गुर्जर को हस्तान्तरित कर दी, जिससे भैरा के खातेदारी में दर्ज की गई।भैरा जी के स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान् उनकी पत्नी प्रार्थीया रामीबाई व उनके दोनो पुत्र विपक्षी सख्या–09 नारायण व 10 शान्तिलाल के कब्जे व काश्त में चली आ रही है व विपक्षी सख्या–09 व 10 एवं प्रार्थीया के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी प्रकार आ०न0–1300 रकबा 08 बीघा 10 बिस्वा भी लक्ष्मीलाल, रामेश्वरलाल पिता नारायण जी धाकड़ नि० भगवानपुरा के नाम फर्जी तरीके से व फर्जी विक्रय–पत्र से आराजीयात अपने नाम करा ली व बाद में दोनो भाईयो ने मिल कर आपसी सहमती से आराजीयात का कागजात में बटवाड़ा भी कर लिया है जबकि मोडा जी की परिशिष्ठ क में अंकित आराजीयात पर आज भी काबिज एक मात्र वारिस उनकी पुत्री प्रार्थीया रामीबाई जिसके पति का नाम भी भैरा जी गुर्जर है व जिसका ससुराल मौजा नालिया का खेड़ा तहसील डुंगला है व प्रार्थीया हही काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है।

3. उपरोक्त बयशुदा आराजीयात के अलावा आराजीयात पर प्रार्थीया काबिज होकर काश्त करती चली आ रही है अभी प्रार्थीया को अपने खातेदारी की आराजीयात की नकल की आवश्यकता होने पर नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थीया दिनांक–16–02–2016 को पटवारी पटवार हल्का बिनोता के पास गई तब जानकारी हुई कि उपरोक्त आराजीयात जो परिशिष्ठ क में अंकित की गई है में से आ0न0–295,316,317,318 शा.न. 322, 319, 320, 321 कुल किता–08 कुल रकबा 10 बीघा 15 बिस्वा फर्जी तरीके राजस्व अधिकारीयों से मिल कर आराजीयात नारायण मुतबन्ना भैरा जी के नाम दर्ज करा ली। जबकि पुरा गावं व जाति समाज के व्यक्ति साक्षी है कि नारायण को कभी भी भैरा जी ने गोद नही लिया है और उक्त आराजीयात नारायण जी के नाम गलत दर्ज हो जाने से वर्तमान में विपक्षीगण 01 ता 06 के नाम दर्ज है। इसी प्रकार आ०न0–1300 रकबा–08 बीघा 10 बिस्वा आराजीयात भी विपक्षी सख्या–07 व 08 ने फर्जी तरीके से बनावटी दस्तावेज विक्रय–पत्र से आराजीयात अपने नाम पर दर्ज करा ली व इसी प्रकार आ0न0–1298 व आ0न0–1299 जिस पर मोड़ा जी का कब्जा चला आ रहा था व मोडा जी का स्वर्गवास होने के बाद उनके वारिसान् मोड़ा जी की पत्नी व उनका पुत्र भैरा जी का कब्जा चला आ रहा था। मोड़ा जी की पत्नी व उनके पुत्र भैरा जी का भी स्वर्गवास हो गया है। भैरा जी का स्वर्गवास लगभग–40–45 वर्ष पूर्व हो चुका है। भैरा जी का स्वर्गवास होने के बाद उनकी पत्नी वरदीबाई व उनकी एक मात्र [illegible] रामीबाई का कब्जा चला आ रहा है। किन्तु उक्त आराजीयात [illegible] बाद फर्जी तरीके से आराजीयात काशीराम पिता [illegible] पिता दौला जी धाकड़ ने अपना नाम दर्ज करा ली जबकि मोडा जी के परिवार में काशीराम व दौला जी के नाम के कोई व्यक्ति हुऐ ही नही व काशीराम एवं जगन्नाथ व वरदा के स्वर्गवास होने के बाद पुनः उक्त आराजीयात विपक्षी सख्या–11 से 14 स्व० जगन्नाथ के वारिसान् एवं विपक्षी सख्या–15 स्व० काशीराम जी के वारिस एवं विपक्षी सख्या–16 से 18 स्व० वरदा के वारिसान् होने से विरासत से इनके नाम दर्ज कर दी गई जबकि आराजीयात पर मोडा

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchori
Date: 2024.10.14 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर निम्बाहेड़ा

जी व मोडा जी के स्वर्गवास होने बाद उनकी पत्नी एवं उनके पुत्र भैरा जी का एवं भैरा जी के यहां प्रार्थीया के जन्म होते ही प्रार्थीया का भी भैरा एवं उनकी पत्नी वरदीबाई के साथ–साथ प्रार्थीया जब से समझदार हुई तब से चला आ रहा है। प्रार्थिया को अपने कब्जे काश्त की आराजियात प्रार्थिया के नाम दर्ज कराने हेतु कहा तो विपक्षीगण टाल–चाल कर रहे है।

4. प्रकरण दर्ज किया जाकर विपक्षीगणों को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी क्रमांक 1,2,3,4,5,6 की और से अधिवक्ता श्री नरेन्द्र वैष्णव ने वकालतनामा मय जवाब काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र पेश किया तथा विपक्षी क्रमांक 9,10,11,12,14,15,17,18,19 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने से विपक्षी क्रमांक 9,10,11,12,14,15,17,18,19 के विरुद्ध एक तरफा कार्यावाही के आदेश दिये गये। द्वारा पूर्व में कई अवसर देने के उपरान्त जवाब बन्द किया गया। विपक्षी क्रमांक 7,8,13,16 प्रकरण में अपना जवाब प्रस्तुत नहीं करने से जवाब बन्द किया गया।

5. बहस विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थिया के अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जाने का निवेदन किया तथा विपक्षीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में जवाब काउन्टर प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि में विपक्षीगण का 1/2 हक हिस्सा व कब्जे की पुश्तेनी पैतृक आराजियात होने से विपक्षीगण को जबरन बेदखल नही करे न करावे तथा राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति मुल वाद के निस्तारण तक बनाये रखने हेतु निवेदन किया।

उपर्युक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में सर्वप्रथम अस्थाई निषेधाज्ञा के कानूनी बिन्दुओं विश्लेषण प्रकरण के तथ्यों के मद्देनजर आवश्यक प्रतीत होता है। किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष सिद्ध करने हेतु तीन महत्वपूर्ण व अपरिहार्य बिन्दु है जिनका विशलेषण इस प्रकार है–

I. **प्रथम दृष्टया मामला**– हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि जो प्रार्थिया एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी पेतृक आराजियात है जिसमें प्रार्थिया एवं विपक्षीगण किसी भी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा से विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से कानून रूप से पाबन्द कराने की अधिकारी नहीं है। वादग्रस्त भूमि के खातेदार विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थिया के पक्ष में नहीं बनता है।

II. **अपूरणीय क्षति**– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में प्रार्थिया को अपूरणीय क्षति होना द्वितीय शर्त है। प्रकरण के अवलोकन से राजस्व रिकार्ड में विपक्षीगणों का जो हिस्सा दर्ज है उसी अनुसार कब्जा आया है। अतः अपूरणीय क्षति विपक्षी के पक्ष में होने से प्रार्थिया को विवादित आराजी पर अस्थाई निषेधाज्ञा के अभाव में कोई अपूरणीय क्षति नहीं होना साबित होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Panchol
Date: 2024.10.14 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested

III. **सुविधा का संतुलन** :– किसी प्रकरण में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रकरण सिद्ध करने हेतु विवादित आराजी पर प्रार्थिया के पक्ष में सुविधा का संतुलन का झुकाव होना तृतीय

शर्त है। विवादित आराजी में प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में नहीं होने से सुविधा का संतुलन भी प्रार्थिया के पक्ष में नहीं बनता है।

9. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया तथा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 212 के आलोक में अस्थाई निषेधाज्ञा के तीन महत्वपूवर्ण कानूनी बिन्दुओं को विश्लेषण किया। तीनों बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं होते है। पत्रावली के अवलोकन से वादग्रस्त भूमि में प्रार्थिया एवं विपक्षीगण की पुश्तैनी पेतृक आराजियात हैं। प्रथम दृष्टया मामला एवं अपूरणीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन बिन्दु भी प्रार्थिया के पक्ष में साबित नहीं हुए हैं। अतः प्रकरण में पूर्व में जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाना उचित हैं। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र साबित नहीं होने से खारिज योग्य है।

–:आदेश:–

पत्रावली का अवलोकन किया गया पक्षकारान के लायक अभिभाषकगण की बहस पर गोर किया। प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित हो रहे है प्रार्थिया के पक्ष मे प्रथम दृष्टिया प्रकरण और सुविधा का संन्तुलन भी नहीं पाया गया अतः प्रार्थिया अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का हकदार नहीं है प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। यह प्रार्थना पत्र हक अधिकार का अंतिम निधारण नही करता है हक अधिकार का प्रश्न वाद शहादत मूल वाद मे तय होगा खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करे।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विकास पंचोली)
सहायक कलक्टर
निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Pancholi
Date: 2024.10.14 13:53:44 IST
Reason: SelfAttested